न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मातासर

प्रार्थीगण

1 श्री मोटाराम पुत्र पेमाराम 2 पोकरराम पुत्र पेमाराम 3 माडूदेवी पत्नी पेमाराम जातियान जाट निवासीयान नवजी का पाना, भूरटिया तहसील एवं जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 दीपाराम पुत्र रावताराम 2 डालूराम पुत्र रावताराम जातियान जाट निवासीयान दणिाण मातासर 3 मनजी पुत्र जाला 4 कसुम्बी पत्नी गोकलाराम जाति मेघवाल 5 हिन्दुसिंह पुत्र प्रेमसिंह 6 गजेसिंह पुत्र प्रेमसिंह 7 देवीसिंह पुत्र लखसिंह 8 नाथूसिंह पुत्र लखसिंह 9 पीरसिह पुत्र लखसिंह जातियान राजपूत निवासीयान नवजी का पाना भूरटिया 10 निम्बाराम पुत्र दलाराम 11 नानगाराम पुत्र दलाराम 12 खीमाराम पुत्र दमाराम 13 बाबूराम पुत्र दमाराम 14 अणछी पत्नी दमाराम 15 उगराराम पुत्र मगाराम 16 रामराम पुत्र मगाराम 17 पूरणाराम पुत्र निम्बाराम 18 चतराराम पुत्र पन्नाराम 19 पूनमाराम पुत्र केशराराम 20 पुराराम पुत्र केशराराम 21 बालाराम पुत्र केशराराम जातियान जाट निवासीयान नवजी का पाना भूरटिया तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–123 / 2017 **दिनांक–19.10.2021**

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नवजी का पाना पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 724 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नंबर 725 / 928 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नंबर 948 / 725 रकबा 123.03 बीघा कुल रकबा 124.01 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2021 / 6075-6078 दिनांक– 19/10/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भूरटिया तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोटाराम पुत्र पेमाराम वगैराह जातियान जाट निवासीयान नवजी का पाना तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण दीपाराम पुत्र रावताराम वगैराह जातियान जाट / राजपूत निवासीयान नवजी का पाना भूरटिया तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर